पत्रांकः–वन भूमि–88 / 2022 3891 / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखंड,
राँची–834002

पटना–15, दिनांक 20/11/24

विषय :– भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव–कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट–रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान–भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 32.27 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव–कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट–रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान–भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 32.27 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–3693 प्रभावित होंगे जिसमें से 2805 वृक्षों का पातन एवं 888 वृक्षों का पुर्नस्थापन प्रस्तावित किया गया है। विषयांकित अपयोजन के प्रस्तावित स्थल पर वानस्पतिक घनत्व 0.5 अंकित किया गया है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11-43/2013-FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तदआलोक में विना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 32.27 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगने 78.2192 हे० अवकृष्ट वन भूमि जमुई वन प्रमंडल अंतर्गत झाझा वन प्रक्षेत्र के बैजला (PF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जो प्रस्ताव के

साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि Geo-referenced नक्शा एवं वन क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं मंडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की अनुशंसा प्रपत्र–IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 32.27 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 13.57110 लाख प्रति हे० के से रू० 4,37,93,940/–(चार करोड़ सैंतीस लाख तिरानवे हजार नौ सौ चालीस रुपये) मात्र प्रयोक्त एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 32.27 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए जमुई वन प्रमंड अंतर्गत 78.2192 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन क्षेत्र में चिन्हित करते हुए रू० 2,21,92,468/- (दो करोड़ इक्कीस लाख बानवें हजार चार सौ अड़सठ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– 04/वन भूमि–88/2022 3891 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 20/11/24

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– 04/वन भूमि–88/2022 3891 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 20/11/24

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

8/11/24

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

Van Bhumi:- 88/202

## PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 32.27 ha. forest land for construction of Saharghat-Rahika (0.00-26.135 KM. NH-227J) Road and Videshwar Asthan-Bheja (0.00-25.915 KM. NH-227A) in Madhubani District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 18/11/24

Place:- Patna

Signature:-

Name of Designation:-

Official Seal:-